तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत निर्देशाला पर बाहत कुमार का निवेदन प्रस्तुत / प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निर्देशाला पर बहन प्रस्तुत की गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/3/2~~5~~ को पेश है	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाई (?) इसके द्वारा पत्रावली के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निर्देशाला की बहस पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निर्देशाला स्वीकार करना उचित नहीं समझता है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निर्देशाला विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय प्रकट किया गया बाद तामील शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वापस हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––383/2023

प्रविष्टि दिनांक ––13.10.2023

उनवान

उत्सव कुमार जैन पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी भगतसिंह कॉलोनी निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. हुकमचन्द पुत्र चन्दालाल जैन जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
2. ज्ञानचन्द पुत्र चन्दालाल जैन जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
3. प्रशान्त पुत्र प्रकाशचन्द जेन जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
4. बाबूलाल पुत्र चन्दालाल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
5. महेन्द्र पुत्र चन्दालाल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
6. नरेन्द्र पुत्र चन्दालाल, जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
7. किरण पत्नी विमल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
8. रविकान्त पुत्र विमल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
9. अभिषेक पुत्र विमल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
10. सचिन पुत्र विमल जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
11. कमल पुत्र हरकचन्द उर्फ हर्षचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
12. निर्मला पत्नी नरेश जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
13. आकाश पुत्र नरेश जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
14. प्रवीण पुत्र हरकचन्द उर्फ हर्षचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी निवाई वालो का गोदाम काफला बाजार जेन मंदिर के सामने टोंक
15. देवेन्द्र पुत्र भागचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
16. विरेन्द्र पुत्र भागचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
17. जितेन्द्र पुत्र भागचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
18. त्रिलोकचन्द पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
19. अशोक पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला–टोंक

20. राजेन्द्र पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
21. सुरेन्द्र पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी निवाई हाल निवासी केसर भवन स्टेशन रोड मयंक सिनेमा क सामने जयपुर राज0
22. महावीर चन्द पुत्र माणकचन्द जैन जाति महाजन निवासी निवाई जिला टोंक
23. पुष्पेन्द्र पुत्र माणकचन्द जाति महाजन निवासी निवाई जिला टोंक
24. दिनेश पुत्र लालचन्द जैन जाति महाजन निवासी ए–28 कृष्ण विहार प्रतप नगर बम्बाला पुलिया के पास सांगानेर जयपुर राज0
25. महेश पुत्र लालचन्द जेन जाति महाजन निवासी पुरानी सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक
26. विवेक पुत्र विनय जेन जाति महाजन निवासी बिचला जैन मंदिर के पास निवाई जिला टोंक
27. नवीन पुत्र विनय जैन जाति महाजन निवासी बिचला जैन मंदिर के पास निवाई जिला टोंक
28. चिंतन पुत्र विनय जैन जाति महाजन निवासी बिचला जैन मंदिर के पास निवाई जिला टोंक
29. कमलेश पत्नी विनय जैन जाति महाजन निवासी बिचला जैन मंदिर के पास निवाई जिला टोंक
30. तहसीलदार निवाई
31. उप पंजीयक निवाई

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री महेश शर्मा–अभिभाषक प्रार्थी
श्री अबरार अहमद– अभिभाषक अप्रार्थीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक– 5/3/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी द्वारा अपने वाद पत्र बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थयी निषेधाज्ञा प्रस्तुत क जिसमे अंकितनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जो स्व0 केसरलाल के जायन्दा वारिसान तथा उत्तराधिकारी है। स्व0 केसरलाल के तीन पुत्र फूलचन्द , गुलाबचन्द व चन्दालाल जी पैदा हुए जिसमे फूलचन्द के स्व0 लालचन्द व स्व0 धर्मचन्द हुए, लालचन्द के चार पुत्र दिनेश महेश विनय नरेन्द्र हुए जिनमे विनय और नरेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी नरन्द्र का वारिस है एवं अप्रार्थी सं0 26 ता 29 स्व0 विनय के वारिसान है। लालचन्द व धर्मचन्द के मध्य बंटवारा दिनांक 28.5.2000 को हुआ था जिसे तहरीर करवाया गय था। बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा लालचन्द के हिस्से मे आया इस कारण धर्मचन्द का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा निहित नही होने के कारण उनके वारिस को पक्षकार नही बनाया गया है। गुलाबचन्द के अप्रार्थी सं0 18 ता 21 जीवित वारिसान है तथा इसी प्रकार स्व0 चन्दालाल पुत्र केसरलाल के सात पुत्र हरकचन्द उर्फ हर्षचन्द , हुकमचन्द ज्ञानचन्द प्रकाशचन्द बाबूलाल महेन्द्र व नरेन्द्र पेदा हुए जिनमे से हरकचन्द व ज्ञानचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान 03, 07 तर 14 है। स्व0 केसरलाल का सर्जरा निम्न प्रकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है और संयुक्त रहते हुए सम्पत्तिया बसाई गई है। संयुक्त रूप से केसर लाल के तीनो पुत्रो फूलचन्द, गुलाबचन्द व चन्दालाल ने संयुक्त आय से भूमि खसरा नंबर 870 , 871, 872, 873, 874, 892, 893, 894, 895, कुल किता–9 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कस्बा निवाई अलमशहुर केसरकुन्ज जयपुर रोड निवाई है जिसमे फूलचन्द के वारिसो प्रार्थी एवं अप्राथीग्ण सं0 24 ता 29 का 1/3 हिस्सा है, चन्दालाल के वारिस अप्रार्थी सं0 1 ता 14 व 1/3 हिस्सा है। गुलाबचन्द के वारिस अप्रार्थी सं0 15 ता 23 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसके अनुसार ही पक्षकार काबिज है। फूलचन्द के वारिसान धर्मचन्द व लालचन्द मे से धर्मचन्द ने अपने हिस्से का हक

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला–टोंक

त्याग लालचन्द के हक मे कर दिया जिसके फलस्वरूप लालचन्द के हिस्से मे धर्मचन्द का हिस्सा व फूलचन्द का पूरा हिस्सा आ गया। इस प्रकार उक्त भूमि मे लालचन्द का 1/3 हिस्सा निहित है। लालचन्द के बाद उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 24 ता 29 का 1/3 हिस्सा है। अतः उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा अप्रार्थी सं0 24 ता 29 को 3/12 का खातेदार काश्तकार घोपित किया जावे। इसी हिस्से अनुसार मोके पर काबिज चले आ रहे है। लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे चन्दालाल व उसके बाद उनके वारिसानो के नाम अंकित हो जान के कारण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है जबकि उक्त आराजी मे उनका हिस्स0 1/3 ही हे। शेष हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 24 ता 29 का है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि मे प्रार्थी के 1/12 हिस्से मे किसी भी प्रकार स दखल , बाधा मजाहमत नही करे भूमि को खुर्दबुर्द नही करे, रहन दान विक्रय हस्तान्तरण आदि नही करे। भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। ताफेसला वाद पाबन्द रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थनापत्र काल्पिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि चन्दलाल की खातेदारी की भूमि है। इस संबध मे न्यायालय हाजा मे विचाराधीन प्रकरण महावीर बनाम हुक्मचन्द आदि प्रार्थी के दादा पिता भी पक्षकार है, जिसमे जवाब पेश किया जा चुका है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण व उसके परदादा चन्दालाल जी के वारिसानो के नाम चली आ रही है। प्रार्थी का उक्त भूमि स कोई संबंध नही है। कई वादो मे प्रार्थी के पिता भी पक्षकार हे लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई मांग नही की गई। उक्त भूमि पर चन्दालाल के वारिसानो का ही कब्जा है उनके द्वारा कुछ भूमि का विक्रय कर दिया जिस पर पुख्ता निर्माण भी कर लिया गया है। उक्त भूमि के संबधं मे कई वाद विचाराधीन है। न्यायालय हाजा मे एक प्रकरण महावीर बनाम हुकमचन्द लम्बित है जिसमे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसक अपील भी खाारिज कर दी गई है। इस प्रकार अन्य प्रकरणो में भी अप्रार्थीगण का पक्ष प्रबल है। महावीर बनाम हुकुमचन्द के प्रकरण मे कई पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है लेकिन वादी ने उनके वारिसो को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके कारण प्रकरण मे अबेट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार गलत तथ्यो का तोड मरोड कर पुनः वाद पेश किया है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब की पुष्टि मे पूर्व मे प्रस्तुत प्रकरणो की प्रतिया व उनमे पारित निर्णय की प्रतिया प्रस्तुत की गई है जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में, जमाबंदी संवत 2070–2073 जमाबंदी 2079(वर्ष 2022) से स्थयी, नकल छाया प्रति कुटुम्बी समझौता, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अभिभाषक उभय पक्ष बहस पर मनन किया। हक, अधिकार, खातेदारी एवं मजाहमत संबंधी तथ्यो का निर्णय, साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर वाद निर्णय के समय किया जायेगा। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 के अवलोकन अनुसार विवादित भूमि मे अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया तो प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई संबंध प्रतीत नही होता है। चूंकि प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र को साबित करने का भार प्रार्थी पर था ओर प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे तथाकथित समझौता होना, विवादित भूमि पर कब्जा होना, एवं बंटवारा, हक त्याग संबंधी कथनो का किसी भी साक्ष्य से सबित नही किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टया तथ्य काल्पिनिक प्रतीत होते है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातदेार काश्तकार है जो अपनी भूमि के प्रयोग उपयोग के लिए स्वतंत्र है जिन्हे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही होगा। चूंकि प्रथम दृष्टया तो ना तो प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई संबंध प्रतीत नही होता है। इस कारण प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे नही जाता है। चूंकि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हे पाबन्द किया गया तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी ना कि प्रार्थी को , इस प्रकार प्रार्थनापत्र की दूसरा

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला–टोंक

बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमावंदी से अप्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदेार काश्तकार होना साबित है तथा जवाव प्रार्थनापत्र एवं जमावंदी के अनुसार उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान भी हो चुका है। यदि उक्त भूमि के संवध मे किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन बोनाफाईड परचेजर के प्रति न्याय नही होगा जिनके द्वारा तत्कालीन खातदेारो से नियमानसुार भूमि कय की गई हैं। साथ ही अप्रार्थीगण के जवाब एवं उसके संलग्न साक्ष्यो से साबित है कि विवादित भूमि के संबध म पूर्व मे भी प्रकरण विचाराधीन रहे व निर्णित किये गये है जिनका अंकन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे नही किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। इस प्रकार समान भूमि के संबंध भूमि , समान पक्षकारा एवं समान तथ्यो के संबधं मे वाद पहले से ही दर्ज हो चुके है उन्ही तथ्यो के संबध मे पुनः वाद सुना जाना न्यायालय के महत्वपूर्ण समय व श्रम की बर्बादी है। प्रस्तुत प्रकरण राजस्व न्यायालयो मे अनावश्यक वाद पत्रो मे बढोत्तरी करने न्यायालय के कार्यभार को बढाना है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः यह प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. खसरा नंबर 870 , 871, 872, 873, 874, 892, 893, 894, 895, कुल किता–9 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कस्बा निवाई अलमशहुर केसरकुन्ज जयपुर रोड निवाई जिला टोंक, विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज **दिनांक** 5/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी,निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला-टोंक